भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3978

25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि कार्यबल का कल्याण

3978. श्री अनिल यशवंत देसाई;

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) सरकार द्वारा हमारे ग्रामीण कार्यबल और आम किसान की कार्य संस्कृति में सुधार लाने के लिए उनके कल्याण और ज्ञान हेतु नवीनतम नवोन्मेष और प्रौद्योगिकियां प्रदान करने के लिए प्रयुक्त पद्धितियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या फसल अथवा ग्राम पंचायत के संबंध में हमारे किसानों की मदद करने के लिए ग्राम सेवक नेटवर्क पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या गांव में ही रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार द्वारा गांव में ही कुटीर उद्योग का विकास करने के लिए हमारे किसानों के कल्याण हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता अथवा बैंक ऋण सुनिश्चित किया जाता है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) योजना वर्ष 2005 से पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में किसानों में कृषि में नई प्रौद्योगिकियों और नवाचारों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। वर्तमान में, यह योजना 28 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के 740 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना देश में विकेंद्रीकृत, मांग-संचालित और किसान-अनुकूल विस्तार पद्धति को बढ़ावा देती है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को अनुदान सहायता जारी की जाती है, जिसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों और उत्तम कृषि पद्धतियों को उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना है। इन गतिविधियों में किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर दौरे, किसान मेला, किसान समूहों को संगठित करना, फार्म स्कूल और किसान-वैज्ञानिक बातचीत आदि का आयोजन करना शामिल है।

सरकार ने किसानों के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की नवीनतम नवाचारों और प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए देश के विभिन्न राज्यों में 731 कृषि विज्ञान केंद्र (के.वी.के.) स्थापित किए हैं।

के.वी.के. की गतिविधियों में विभिन्न कृषि पद्धतियों के तहत प्रौद्योगिकी की स्थान विशिष्टता की पहचान करने के लिए खेत पर परीक्षण करना; किसानों के खेतों पर उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों की उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन; ज्ञान और कौशल उन्नयन के लिए किसानों की क्षमता का विकास; और किसानों को गुणवत्ता वाले बीज को उपलब्ध कराना, रोपण सामग्री और अन्य प्रौद्योगिकी इनपुट का उत्पादन करना शामिल है। किसानों के बीच उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए, के.वी.के. द्वारा बड़ी संख्या में विस्तार गतिविधियाँ शुरू की जाती हैं।

(ख): किसानों के कल्याण के लिए सूचना के प्रसार एवं योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की मुख्य भूमिका होती है। इसके अलावा, आत्मा योजना में प्रत्येक दो जनगणना गांवों के लिए एक किसान मित्र की पहचान का प्रावधान है। किसान मित्र ग्राम स्तर पर विस्तार प्रणाली और किसानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

(ग): सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम.एस.एम.ई.) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से गैर-कृषि क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) को कार्यन्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके रोजगार के अवसरों तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है।

पी.एम.ई.जी.पी. योजना के तहत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी (एम.एम.) सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों जैसे विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए, मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये है। विशेष श्रेणी के तहत लाभार्थियों का स्वयं का योगदान 5% और सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 10% है।

वर्ष 2018-19 से, मौजूदा पी.एम.ई.जी.पी./मुद्रा उद्यमों को भी पिछले अच्छे प्रदर्शन के आधार पर अपग्रेडेशन और विस्तार के लिए दूसरे ऋण से सहायता दी जा रही है। दूसरे ऋण के तहत, विनिर्माण क्षेत्र के तहत मार्जिन मनी (एम.एम.) सब्सिडी के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत 1.00 करोड़ रुपये है और सेवा क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये है। सभी श्रेणियों के लिए दूसरे ऋण पर पात्र सब्सिडी परियोजना लागत का 15% (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 20%) है।

******